

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- प.149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2011-12/1746

दिनांक:- 20-10-11

कार्यालय आदेश

माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.06.2011 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण क्रमांक 953 दिनांक 22.06.2011 जारी किया जाकर इसकी एक प्रति सभी संबंधितों को भिजवाई जा चुकी है। इस कार्यवाही विवरण के द्वारा विभिन्न योजनाओं/शहरों में नवीन पंजीकरण योजनाएं प्रारंभ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं/शहरों में भी नवीन पंजीकरण योजनाएं प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्रं. सं.	शहर	योजना	आय वर्ग	प्रस्तावित आवास/फ्लैट की संख्या	स्ववित पोषित/..... पंजीकरण योजना वर्ष 2011-12	अन्य विवरण
1.	जयपुर	प्रताप नगर, सेक्टर-28	मध्यम 'अ' (जी+3)	160	प्रताप नगर (जयपुर) पंजीकरण योजना वर्ष 2011-12	(पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु) जयपुर शहर के प्रताप नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को प्रथम वरीयता, जयपुर शहर के मानसरोवर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा जयपुर शहर के इन्दिरा गांधी नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को तृतीय वरीयता प्रदान की जायेगी।
2.	जयपुर	प्रताप नगर, सेक्टर-28	मध्यम 'ब' (जी+3)	192	प्रताप नगर (जयपुर) पंजीकरण योजना वर्ष 2011-12	उपरोक्तानुसार।
3.	अजमेर	नाका मदार	मध्यम 'अ' (डुप्लेक्स)	35	स्ववित पोषित योजना	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु।
4.	भरतपुर	एस.टी.सी.	मध्यम 'अ'	22	एस.टी.सी. (भरतपुर) पंजीकरण योजना वर्ष 2011-12	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु।
5.	भरतपुर	एस.टी.सी.	उच्च आय वर्ग	13	एस.टी.सी. (भरतपुर) पंजीकरण योजना वर्ष 2011-12	उपरोक्तानुसार।

6.	नसीराबाद	नसीराबाद	अल्प आय वर्ग	215	नसीराबाद (अजमेर) पंजीकरण योजना वर्ष 2011-12	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु।
7.	जोधपुर	राजीव गांधी नगर	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	400	राजीव गांधी नगर (जोधपुर) पंजीकरण योजना, वर्ष 2011-12	नये आवेदकों हेतु।
8.	जोधपुर	कुड़ी भगतासनी योजना, सेक्टर-1	मध्यम 'अ' (जी+3)	48	स्ववित पोषित योजना	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु
9.	जोधपुर	कुड़ी भगतासनी योजना, सेक्टर-4	मध्यम 'ब' (जी+3)	72	स्ववित पोषित योजना	उपरोक्तानुसार।

उल्लेखनीय है कि उक्त सभी योजनाओं/शहरों में नवीन पंजीकरण योजनाएं दिनांक 02.11.2011 से दिनांक 30.11.2011 तक के लिए प्रारंभ की जानी प्रस्तावित है। उक्त को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ट./-
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0 आ0 म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पी. एण्ड एम./रा0आ0म0, जयपुर को यह भी निर्देशित किया जाता है कि संबंधित से पालना सुनिश्चित करावें एवं मॉनिटरिंग की जावे।
5. वरिष्ठ निजी सहायक-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
7. संबंधित उप आवासन आयुक्त-वृत-..... रा0आ0म0, को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ योजनाओं/शहरों में स्वीकृत नवीन पंजीकरण योजनाओं से संबंधित वांछित अनुमानित लागत निर्धारित करवाकर बुकलेट समय रहते तैयार करें।
8. संबंधित आवासीय अभियन्ता, खण्ड-..... रा0आ0म0, को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ योजनाओं/शहरों में स्वीकृत नवीन पंजीकरण योजनाओं से संबंधित वांछित अनुमानित लागत निर्धारित करवाकर बुकलेट समय रहते तैयार करें।
9. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी को मेल करें।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक